॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक - 2254 / 12-1 मसूरी, दिनांक - 17 / 11 / 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग का हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/13657/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 8बी./यू.सी.पी./06/100/2016/एफ0सी0/1682, दिनांक– 29.10.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव वापस किया गया है। उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र से देहरादून आने के लिए पहले से ही मार्ग व वैकेल्पिक मार्ग से उपलब्ध हैं, जिसके कारण प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण का कोई औचित्य नहीं है।

भारत सरकार द्वारा इंगित उक्त आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के औचित्य/आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि आपको संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email:
eepmgsydehradun@rediffmail.com

पंत्राक 1017 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0–दे0दून/वन भूमि दिनांक 10 /11/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषयः– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकंला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–11.425) के नव निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/13657/2015 Dtd 02-07-2015)

सन्दर्भः– आपका ई0डी0एस0 दिनांक–04.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित ई0डी0एस0 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में आपके ई0डी0एस0 दिनांक 04.11.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रकरण में एक बिन्दु पर आपत्ति लगाई है। उक्त बिन्दु का निराकरण हेतु प्रतिवेदन/आख्या संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है, कि अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करे, साथ ही बिन्दु का निराकरण ई0डी0एस0 में ऑनलाईन कर दिया गया हैं।

संलग्नकः– निराकरण आख्या की हार्ड प्रति–05 ।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पंत्राक 1017 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0–दे0दून/वन भूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि–सहायक अभियन्ता– प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत् रूचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

<u>प्रतिवेदन</u>

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के रायपुर विकासखण्ड़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा (कर्लिगाड)–नालीवाला मोटर मार्ग (लम्बाई 11.40 किमी0) के नव निर्माण।

जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा (कर्लिगाड)–नालीवाला मोटर मार्ग के प्रथम स्टेज का नव निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना के नालीवाला ग्राम जिसकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 398 है, जो कि अभी तक किसी मोटर मार्ग से जुड़ा नही है, को सहस्त्रधारा (कर्लिगाड) से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।

मार्ग की डी0पी0आर0 का गठन पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत कोर नेटवर्क के आधार पर किया गया तथा प्रस्तावित समरेखण पर ही लाभार्थी ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सहमति भी दी गयी थी। तदानुसार डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की गई एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमतापूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहर की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से यहां युवाओं के लिये नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेगी।

उक्त योजना को देहरादून मुख्यालय से जोडने से क्षेत्र में रोजगार की बहुत सम्भावनायें बढ़ेगी। ग्राम वासियों की अपनी कृषि उपज एंव दुग्ध उत्पादन को राजधारी क्षेत्र में अभी बेचने के लिए मसूरी मार्ग के रास्ते जाना पड़ता है तथा दूरी अधिक होने के कारण उन पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें उनके उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इस मोटर मार्ग के बन जाने से राजधानी क्षेत्र से इस क्षेत्र की दूरी 40 किमी0 कम हो जायेगी, जिससे स्थानीय लोगों के समय की बचत होगी एवं उनकी आमदनी भी बढेगी।

मोटर मार्ग के अभाव के कारण क्षेत्र में पलायन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जो कि राज्य सरकार के रिर्वस पलायन की सोच को पूरा करेंगा।

इनके अतिरिक्त क्षेत्र के नालीवाला ग्राम के अलावा भी और ग्रामों को भी राजधानी आने का छोटा एवं सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तक भी क्षेत्र वासियों की पहुंच सुगम हो जायेगी, जिससे भारत सरकार का रोजगार अवसरों के अधिक सृजन एवं गरीबी निवारण करने के उद्देश्य की यह योजना भी पूर्ण होगी।

अतः निवेदन है, कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा (कर्लिगाड) से नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि को गैरवानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास का प्रत्यावर्तन करने की कृपा करें।

A.A.E

Assistant Engineer-I
P.M.G.S.Y.I.D. Dehradun

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून